

रेटिंग एजेंसियों पर सेबी की सख्ती (Sebi tightens norms for rating agencies)

चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रतमूलिक विनियोगकर्ता बोर्ड ने भारत के बाजार नियमक ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिये खुलासा तथा समीक्षा करने संबंधी मानदंडों को सख्त कर दिया है। सेबी द्वारा उठाए गए इस कदम को आईएलएफएस (IL&FS) संकट के असर के तौर पर देखा जा रहा है।

नए दशा-निर्देशों के अनुसार

- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को खुलासा करते समय कई कारकों को ध्यान में रखना होगा। इन कारकों में प्रमोटर सपोर्ट, सहयोगी कंपनियों के साथ संबंध और नक्किट अवधिभुगतान दायतिवों को पूरा करने के लिये नकदी की स्थितिशामिल है।
- यदि रेटिंग का कारक मूल कंपनी या सरकार से समर्थन है तो प्रवरक का नाम और कसी भी उम्मीद के लिये दलील को रेटिंग एजेंसी द्वारा मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा जब रेटिंग के लिये सहयोगी कंपनियों या समूह कंपनियों को साथ मलिया जाता है तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को इन सभी कंपनियों की सूची बनानी होगी साथ ही इन कंपनियों के एकीकरण का कारण भी बताना होगा।
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को रेटिंग एक्शन के बारे में प्रेस रलीज में नकदी के लिये एक सेक्शन जोड़ने की ज़रूरत है। इस सेक्शन में यह बताया जाना चाहिए कि निकिट अवधिभुगतान दायतिवों को पूरा करने के संबंध में कंपनी की क्या स्थिति है। वशिष्ठज्ञों के अनुसार, इस कदम से निवेशकों को कंपनी की नकदी की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी।
- पुनर्भुगतान के कार्यकरम की निगरानी करते समय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को कंपनी की नकदी की स्थिति में गरिवट का विश्लेषण करना होगा और साथ ही परसिंप्टता-देनदारी में कसी तरह की अनियमितता पर भी ध्यान देना होगा।
- सेबी द्वारा जारी नए दशा-निर्देशों के मुताबिक, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को अर्द्धवार्षिक आधार पर (31 मार्च और 30 सितंबर को) 15 दिनों के भीतर इनवेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग शरणी में त्वरित रेटिंग कार्यवाही के आधार पर डेटा प्रस्तुत करना होगा।

पृष्ठभूमि

- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों कसी कंपनी की क्रेडिट योग्यता को प्रभावित करने वाले कारकों की निगरानी और विश्लेषण करती हैं और इस तरह बॉन्ड की कीमत तय करने में मदद करती है।
- लेकिन IL&FS मामले में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के कार्यपरणाली से भारतीय बाजार नियमक संतुष्ट नहीं था। बाजार नियमक का मानना है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों कंपनी के शुरुआती संकेतों को भाँपने में नाकाम रही जिसके चलते उन्होंने इस संबंध में कोई चेतावनी जारी नहीं की थी। इसके बाद सेबी ने रेटिंग एजेंसियों के वरषित अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें की तथा अंततः ये दशा-निर्देश जारी किये हैं।